



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP35719684720178Y

e-Stamp

Certificate No. 7757/2026 : IN-UP35719684720178Y
 Certificate Issued Date : 29-Apr-2026 09:14 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0166271166608281Y
 Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : VILL-GATA NO. 3041 SA, TOTAL AREA-0.5690 HEC. LUCKNOW
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : CHAUDHARY URF CHAUDHI
 Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 11,15,240
 (Eleven Lakh Fifteen Thousand Two Hundred And Forty only)

₹11,15,240



IN-UP35719684720178Y

Please write or type below this line

मि० श्री चौधरी उर्फ जैध

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 नायब तहसीलदार/सचिव
 लखनऊ

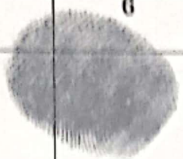
FHI 0000986411

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner

100 Sl. No.	Bahl	Khand	Pages	Date of Registration	Signature	Name & Address of Presenter	Newly Passport Size Photograph
1	2	3	4	5	6	7	8
						श्री चौधरी चर्क चौधी पुत्र प्रभू निवासी - मोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	
						लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अजनी कुमार शुक्ला (सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार) पता- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	
						गवाह-01 श्री शिवम अवरथी (सांविदा अमीन) पुत्र श्री दिनेश कुमार अवरथी, पता-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	
						गवाह-02 श्री देशराज (लेखपाल) पुत्र श्री राम सागर पता- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)

3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 1,59,32,000/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
4. मालियत रू० - 39,83,000/-
5. जनरल स्टाम्प - 11,15,240/-

स्टाम्प सं. डी IN-UP35719684720178Y व दिनांक 29-04-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 3041स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विक्रीत रकबा 0.5690हे०, अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.5690हे०
11. सड़क की स्थिति- किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विक्रीत रकबा किसी-रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत बौद संख्या-202615701041074745 आवेदक चौधरी उर्फ चौथी पुत्र प्रमू के नाम अपर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.04.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 3041स

15. पूरब - गाटा संख्या - 2983
16. पश्चिम - गाटा संख्या - 3042
17. उत्तर - गाटा संख्या - ग्राम सीमा गहलवारा
18. दक्षिण - गाटा संख्या - 3047

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री चौधरी उर्फ चौधी पुत्र प्रभू निवासी -दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 9095 3586 8425 मो० नं० 8303724858 पैन नं० DBCPC1590P

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993

पैन संख्या - AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है; जिसमें से रकबा 0.5690 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वज्ररत खुद के, उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज़ व हक व जुज के विल एवज मुबलिग रुपये 1,59,32,000/- (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख बत्तीस हजार मात्र) जिसके आधे मुबलिग रुपये 79,66,000/- (रुपये उन्यासी लाख छछठ हजार मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर

आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रजगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 3041स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विक्रीत रकबा 0.5690हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 1,59,32,000 /- (रुपये एक करोड उन्सठ लाख बत्तीस हजार मात्र) विक्रेता श्री चौधरी उर्फ चौधी पुत्र प्रभू उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट PNB Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 806102 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भूति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता

ज्ञानिन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से छोट पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक- 4/5/2026



श्री. प्रताप शुक्ला
नायब महसिलदार/सं. ०४०३/०
लखनऊ



आवेदन सं०: 202601041018922

विक्रय पत्र

दही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7757

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 15932000 स्टाम्प शुल्क- 1115240 बानारी मूल्य- 3983000 पञ्जीकरण शुल्क - 159320 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 159380

श्री चौधरी उर्फ चौधी,
पुत्र श्री प्रभू
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/05/2026 एवं 07:30:09 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रो. वि. वि. वि.

उप निबंधक, सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

04/05/2026



हस्ताक्षर विक्रेता



हस्ताक्षर विक्रेता
क्रेता ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
लखनऊ

गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818







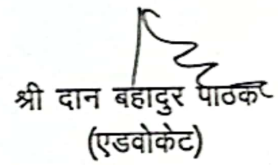


टाइपकर्ता



सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक


श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



श्री देशराज लैड0, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

Emile



रजिस्ट्रार ऑफिस के हस्ताक्षर

प्रति. विक्रम

उन निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

मानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक लखनऊ

04/05/2026

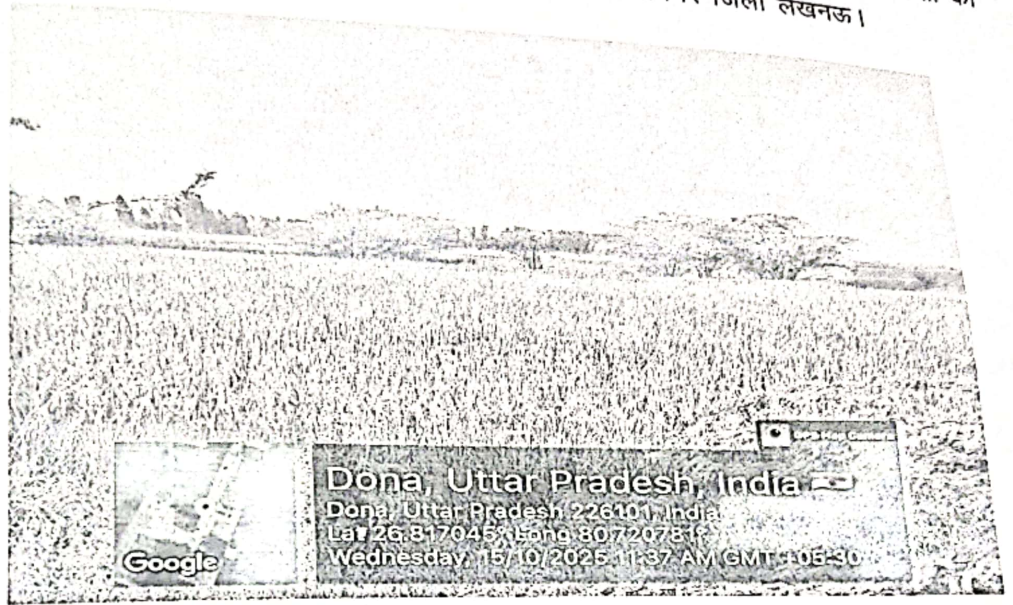
ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी :

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



विकीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 3041स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विकीत रकबा 0.5690हे०, अर्थात् विकेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विकेता के हस्ताक्षर


ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ल
नायब तहसीलदार/स०
ल०वि०प्रा०
केता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041018922

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7757

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र खाद सुनने व समझने मजबुत व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री चौधरी उर्फ चौधी,

[CHAUDHARY

पुत्र श्री ऋषू

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 590P

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा शानेन्द्र प्रताप शुक्ला
(नायब तहसीलदार),

[LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 016F

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1



[Signature]

श्री शिवम अवस्थी अमीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

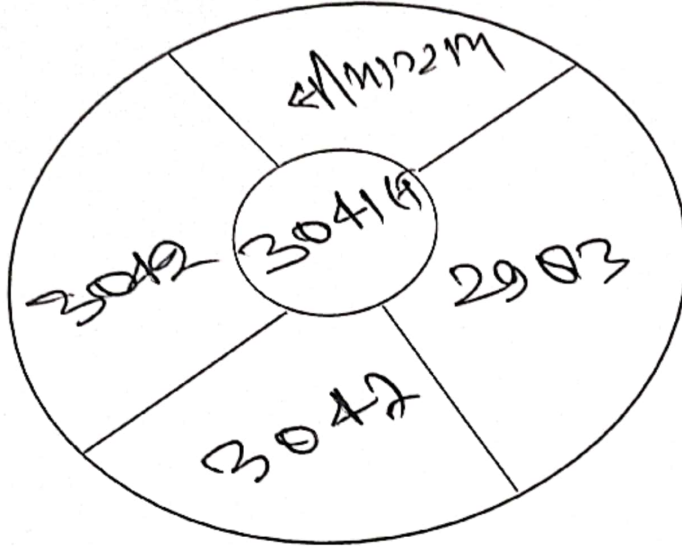
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 3041स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विकीत रकबा 0.5690हे०, अर्थात् विकेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विकेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०



आवेदन सं०: 202601041018922

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15327 के पृष्ठ 159 से 176 तक क्रमांक 7757 पर दिनांक 04/05/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रीति . विक्रम

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

04/05/2026

जिल्द नंबर 15327
पृष्ठ 159 से 176 तक
क्रमांक 7757 पर

